13-02-25 पत्रावली पेश हुई

चूंकि मूल वाद अवैध डिक्री एवं अवैध सामी से जारिय है-कृपया डिक्री निरस्तगी हेतु अभिलेख को आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं रहा है।

अतः मूल वाद की तरीख पर अभिलेख को रूबरू पर अवैध सामी एवं अवैध डिक्री से जारिय किया जाता है।

पत्रावली शैलेन्द्र कुमार सिंह कानूनगो दर्ज है।

सहायक कलेक्टर
SDO सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:12:07 IST
Reason: SelfAttested